## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण कमांक रिव्यू 3816–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–13 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 4273–दो/12.

———

राजेश पुत्र गजराम सिंह यादव
निवासी ग्राम सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म. प्र. ——— आवेदक

**विरूद्ध**

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित ।

———

**:: आदेश ::**

**( आज दिनांक 18–9–2015 को पारित )**

———

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निग0 4273–दो/12 में पारित आंदेश दिनांक 09–9–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के पूर्वज नारायण सिंह पुत्र श्री हटेसिंह को विवादित भूमि सर्वे नं. 272 रकबा 4.745 में से रकबा 0.535 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार, ईसागढ़ द्वारा प्रकरएण कमांक 117/अ–19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 20–9–91 द्वारा किया गया । व्यवस्थापन होने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण वसीयत के आधार पर आदेश दिनांक 24–9–97 द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा किया गया । तहसीलदार ईसागढ़ के आदेश दिनांक 20–9–91 को कलेक्टर अशोक नगर 6 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को सूचना व

सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश दिनांक 31.1.98 द्वारा निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–10–03 द्वारा स्वीकार की । आवेदक द्वारा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.03 में त्रुटि होना बताते हुए आयुक्त के समक्ष विविध आवेदन पेश किया गया जो आयुक्त ने अत्याधिक विलंब से पेश किए जाने के आधार पर निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की जो राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । इस न्यायालय के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन इस न्यायालय में पेश किया गया है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पूर्वज नारायणसिंह को किया गया था तथा उनकी मृत्यु उपरांत वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण किया गया है । कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को ही निरस्त किया गया है और उसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की थी । आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में टंकण की त्रुटिवश कलेक्टर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक, आदेश, सर्वे नंबर एवं ग्राम के नाम का गलत उल्लेख हो गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त त्रुटि की ओर ध्यान न देते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया । जानकारी होने पर आवेदक ने संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत उक्त त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे अवधि बाह्य मानते हुए आयुक्त ने निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की है । उनका कहना है कि उक्त त्रुटि सद्भाविक है न्यायालय को भी अपनी ओर से उदार रूख अपनाकर त्रुटि को स्वतः दूर करने का आदेश देना चाहिए था । यह कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के स्वरूप को समझे बिना आवेदक की निगरानी को निरस्त कर अवैधानिकता की गई है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उक्त त्रुटि को सुधारने से प्रकरण के स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आवेदक द्वारा उसी भूमि के सर्वे नंबर के सुधार की मांग की गई है जिसका व्यवस्थापन आवेदक के पूर्वज नारायण सिंह को किया गया था और जिस पर आवेदक का नामांतरण किया गया है । आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर

के उसी आदेश को निरस्त किया गया है, जिसके द्वारा कलेक्टर ने आवेदक के पूर्वज के पक्ष में हुए व्यवस्थापन को निरस्त किया था ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए पुनरावलोकन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदक के पूर्वज नारायण सिंह को विवादित भूमि सर्वे नं. 272 रकबा 4.745 में से रकबा 0.535 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार, ईसागढ़ द्वारा प्रकरएण कमांक 117/अ–19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 20–9–91 द्वारा किया गया । नारायण सिंह की मृत्यु के उपरांत आवेदक का वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया है । यह भी निर्विवादित है कि कलेक्टर, द्वारा तहसीलदार, ईसागढ़ द्वारा नारायण सिंह के पक्ष में किए गए व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20–9–91 को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष निगरानी पेश की गई जो विद्वान आयुक्त ने स्वीकार की एवं कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है । ऐसी स्थिति में यदि त्रुटिवश आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आवेदन एवं आयुक्त के आदेश में प्रकरण कमांक एवं आदेश दिनांक में टंकण की त्रुटि हो गई थी तो आयुक्त को उसे न्यायहित में सुधारने का आदेश देना चाहिए था ना कि आवेदन को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करना चाहिए था । आयुक्त के आदेश दिनांक 31–10–03 में भी से भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश में तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–12–91 एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–1–98 का उल्लेख कई जगह आया है उक्त दिनांक वही हैं जो आवेदक के प्रकरण से संबंधित है । आवेदक द्वारा उसी भूमि से संबंधित खसरा नंबर एवं रकबा में हुई त्रुटि को सुधार किए जाने की मांग की गई है जिसका उससे संबंध है नाकि अन्य भूमि के संबंध में । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आयुक्त द्वारा आवेदक के त्रुटि सुधार के आवेदन को अस्वीकार करने में और इस न्यायालय द्वारा आयुक्त के आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गई है । अतः इस प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है और इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में प्रथमदृष्टया अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि होने के कारण आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–13 एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश

दिनांक 16–10–12 तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–98 निरस्त किये जाते हैं तथा यह आदेश दिये जाते हैं कि आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 144 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2003 में ग्राम खामखेड़ी के स्थान पर ''सारसखेड़ी'', तथा सर्वे नंबर 161 रकबा 1.00 हैक्टर के स्थान पर '' सर्वे नंबर 272 / 2 रकबा 0.535 हैक्टर '' पढ़ा जाये । तहसीलदार को भी निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख संशोधित करते हुए ग्राम सारसखेड़ी स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 272 / 2 रकबा 0.535 पर आवेदक राजेश पुत्र गजराम यादव का नाम पूर्ववत अंकित किया जाये ।

( एम0 के0 सिंह )
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर